



Social Justice and Women Empowerment Board

*Under the Ministry of Social Justice & Empowerment
(GOVT OF INDIA)*



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड (भारत सरकार)

देश की सुनहरी पहल

सरल न्याय व्यवस्था

महिला है हमारा अभिमान

गरीबों से अब ख़तम होगा भेद भाव

LOGO

SOCIAL JUSTICE WOMEN EMPOWERMENT
UNDER THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & WOMEN EMPOWERMENT (GOVT OF INDIA)
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

राष्ट्र के लिए सामाजिक न्याय बोर्ड



CALL US

यदि आपके आस-पास कोई दुर्व्यवहार करता है या आप किसी भी प्रकार के सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या आप हमें मेल लिख सकते हैं।




Social Justice And Women Empowerment Board (Govt of India)

UNDER THE DIRECTION OF FORMER CENTRAL MINISTER SHRI NAGMANI JI

VIBRATING NATIONAL ASSEMBLY OFFICERS



SHRI NP ANANAD JI
DIRECTOR GENERAL



MS POOJA SHARMA
CHAIRPERSON



SHRI ANKUR BANSAL JI
NATIONAL CHIEF SECRETARY

OUR VISION

Our Vision is to make Indian citizens strong & to make women empowered. Every one should get those basic human rights which they deserve , And freedoms would ensure the dignity of the individual and the well-being of the community. Rights would be protected by legislation and upheld by a justice system to which everyone would have ready and equal access. The main purpose of this Board is to establish a new policy for Indian citizens

equality right , equality justice , justice on time , women safety , women protection , women empowered, new formulation plan for small scale crimes under this board .

Under the supervision of Social Justice & empowerment ministry this board shall solve those cases by their own which not required to go and appeal in the courts . The Top experts of judiciary retired honoble judges team and Lawyers will be assigned for the legal aspects for the citizens . The Board will also give the platform of the employment as well as a vision to the youngsters to support board policies and to aware in all the small regions of the states.



DIRECTOR GENERAL SHRI NP ANAND



Our vision to make India citizens strong & to make women empowered. Every one should get those basic human rights which they deserve , And freedoms would ensure the dignity of the individual and the well-being of the community. Rights would be protected by legislation and upheld by a justice system to which everyone would have ready and equal access.

भारत के नागरिकों को मजबूत बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी दृष्टि। प्रत्येक व्यक्ति को वे बुनियादी मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए जिसके वे हकदार हैं, और स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करेगी। अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा और न्याय प्रणाली द्वारा बरकरार रखा जाएगा, जिसके लिए सभी को तैयार और समान पहुंच होगी।

DIRECTOR

MS JYOTI RANA

Our vision to make India's Women live in safe, sustainable environments that include adequate food, water, housing, education and health care. We're proud to deliver a broad range of services to women from diverse communities, inspiring them to become more economically active and personally fulfilled. Providing timely Justice to the citizens is the main objective of the Board.

भारत की महिलाओं को सुरक्षित, टिकाऊ वातावरण में रहने की हमारी दृष्टि जिसमें पर्याप्त भोजन, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। हमें विविध समुदायों की महिलाओं को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने पर गर्व है, जो उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय और व्यक्तिगत रूप से पूर्ण बनने के लिए प्रेरित करती हैं। नागरिकों को समय पर न्याय दिलाना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

CHAIRPERSON

MS POOJA SHARMA



Women safety & discrimination the major issue in India, keeping this thing in mind ,our Board have designed exclusive policies & Platforms which will bring revolution in Indian Justice. Our Belief India is a most capable country & our citizens have those potentials which other country's have not , so we would bring latest technologies in Justice & women empowerment through this Board. Also we will introduce what are the Fundamentals rights of a citizens and a individuals.

महिला सुरक्षा और भेदभाव भारत में प्रमुख मुद्दा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे बोर्ड ने विशेष नीतियां और प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो भारतीय न्याय में क्रांति लाएंगे। हमारा विश्वास है कि भारत सबसे सक्षम देश है और हमारे नागरिकों में वह क्षमता है जो अन्य देशों में नहीं है, इसलिए हम इस बोर्ड के माध्यम से न्याय और महिला सशक्तिकरण में नवीनतम तकनीकों को लाएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि नागरिकों और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या हैं।

NATIONAL CHIEF SECRETARY SHRI ANKUR BANSAL




समाज के बेहतर कल के लिए सामाजिक जस्टिस बोर्ड का निर्माण किया गया है जो आने वाले जनरेशन के उज्ज्वल भाविये के लिए बहुत बड़ी मिसाल सबित होगा। देश के संपूर्ण विकास के लिए उनके अधिकार को सुरक्षित रखने का ये एक सावधानी कदम है, हम अपने देश वसियो के संग पूरी इमंदारी से उनके साथ एक जुट होकर खड़े रहेंगे।

Social Justice Board has been formed for the better tomorrow of the society, which will prove to be a great example for the bright future of the coming generation. This is a careful step to safeguard their right for the overall development of the country, we will stand united with our countrymen with all sincerity.

Developed by Pooja Sharma Chairperson

Objective

In India, a new social justice and women empowerment board has been created for change.



Women's safety is on the rise to stop atrocities and uplift the society

Women empowerment refers to providing the women economical, social and educational rights, without any kind of discrimination based on gender, class, religion or social status.

It is an essential prerequisite for the development and progress of a nation.

Why Social Justice Board

भारत भर की विभिन्न अदालतों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

विकसित देशों की तुलना में, भारत में प्रति दस लाख नागरिकों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं

जबकि अमेरिका में प्रति दस लाख नागरिकों पर 107 न्यायाधीश हैं।

अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

किसी भी मामले में न्याय मिलने में बहुत अधिक समय लगता है

और बहुत अधिक पैसा भी। गरीब लोग इतनी बड़ी रकम वहन करने में असमर्थ हैं।

इसलिए समय और धन की बर्बादी के लिए लोक अदालतें स्थापित की जाती हैं।

गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता

यदि कोई गरीब भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह न केवल अपने बल्कि अपने पूरे परिवार को खतरे में डालकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली गरीब विरोधी है जो गरीबों के हितों को खतरे में डालती है।

गरीब लोग विवाद समाधान के लिए औपचारिक कानूनी संस्थानों तक पहुंचने में कम सक्षम हैं। इन और अन्य गुप्त तंत्रों के संयुक्त प्रभाव के माध्यम से, गरीबों को उनकी न्याय यात्रा पर काफी खराब परिणाम मिलते हैं।

सोशल जस्टिस बोर्ड देश में गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने और उनको जस्टिस दिलाने के लिए बनाया गया है

सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड (भारत सरकार)

प्रशासन के समय को बचाएं और छोटे-छोटे मामलों को
कानूनी विशेषज्ञों के माध्यम से हल करें सामाजिक न्याय का पहला देश का कदम



घर-घर सामाजिक न्याय से होगा अब गरीबों का कल्याण

मुफ्त क़ानूनी सलाह

कम खर्च में होगा समाधान

समय की बर्बादी से मिलेगी अब मुक्ति

डर डर की ठोकर खाने से मिलेगी मुक्ति

छोटे मसलो पर तवतरित न्याय

शहर शहर गांव गांव गांव गांव गरीबों के अधिकारो की रक्षा होगी

कोर्ट पर बौज कम बढ़ेगा

WHAT HAS TO BE DONE IN THE BOARD

- FUNDAMENTAL RIGHTS AWARENESS
- SOCIAL JUSTICE BOARD CENTRES IN EACH STATES
- SOCIAL JUSTICE FAMILY CARDS
- LEGAL SUPPORT CENTRES
- TOLL-FREE NUMBERS TO REGISTER ISSUES / PROBLEMS
- IMMEDIATE HELP AND SUPPORT CENTRES
- ADMINISTRATION SUPPORT
- WOMEN RIGHTS PROTECTION CELL
- YOUTH PROTECTION CELL
- CITIZENS RIGHTS PROTECTION CELL
- HELP CENTRES

‣

➤ SOCIAL JUSTICE BOARD CENTRES IN EACH STATES

मौलिक अधिकार जागरूकता

प्रत्येक राज्य में सामाजिक जूटिस बोर्ड केंद्र

सामाजिक न्याय परिवार कार्ड

कानूनी सहायता केंद्र

मुद्दों/समस्याओं को दर्ज करने के लिए टोल-फ्री नंबर

तत्काल सहायता और सहायता केंद्र

प्रशासन का सहयोग

महिला अधिकार संरक्षण कक्ष

युवा संरक्षण कक्ष

नागरिक अधिकार संरक्षण कक्ष

सहायता केंद्र

भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण बोर्ड

भारत की गरीब महिलाओं के साथ बढ़ता भेद भाव, दुर्व्यहार, असमानता, गलती न होने पर दोषी करार देना प्रशासन का गलत व्यवहार, न्याय न देना, सुनवाई में देरी करना, उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है
महिला हमारा अभिमान है उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है



भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में सामाजिक न्याय बोर्ड के महिला सुरक्षा सेल बनाया जाएंगे,

कोई भी पीड़िता महिला अगर बोर्ड के केंद्र पर संपर्क करती है तो वह केंद्र से सहायता प्राप्त करके न्याय और अपनी सुरक्षा कर सकती है

Centres

- Special cells for womens safety
- Special cells for justice
- Special cells for victims
- Special cells for youngsters
- Special cells for poor people
- Special low courts facility
- Youth protection cell
- Special toll free numbers to complaint

Developed by Pooja Sharma Chairperson

How social justice will work

➤ Top Retired supreme court judges panel

➤ Top Senior lawyers panel

➤ Top Social workers panel

➤ Top Media cell

➤ State Centre cells and M

➤]Members

Developed by Pooja Sharma Chairperson

Burning issues

- Dowry system band karo mahila ka samaan karo
- Rape prevention
- Clear justice provision
- Legal matter solving through social justice centres officers
- Unemployment issues
- Citizen rights

➤

Developed by Pooja Sharma Chairperson

How a citizen can register his complaint

❧ Social justice tolfree no

❧